

न्यायालय : पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.

(आप.प्रक.क. : 357 / 2008)

(संस्थित दिनांक : 27 / 12 / 04)

म.प्र.राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मालनपुर

जिला-भिण्ड, म.प्र.

..... अभियोजन।

// विरुद्ध //

01. बंटी जाटव पुत्र भगवान सिंह जाटव उम्र 33 वर्ष।

निवासी :- हरीराम का पुरा, थाना-मालनपुर, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)

..... अभियुक्त।

// निर्णय //

(आज दिनांक :- 02 / 11 / 2017 को घोषित)

01. अभियुक्त बंटी जाटव पर धारा :- 379 भा.द.सं. के अन्तर्गत आरोप है कि उसने दिनांक : 05-06 / 07 / 2004 की रात्रि में सूर्यास्त के पश्चात् एवं सूर्योदय के पूर्व रोहिणी स्ट्रिप्स लिमिटेड फैक्ट्री मालनपुर में फरियादी के.एस.परिहार के आधिपत्य के एक चैनल, लोहे का पलंग, जालीदार चैनल के टुकड़े तथा एम.एस.स्क्रेप आदि कुल कीमत लगभग 1500/- रुपये बिना उसकी सहमति के बेईमानीपूर्वक ले लेने के आशय से हटाकर चोरी की।

02. प्रकरण में अन्य आरोपीगण दिनेश धनौलिया पुत्र रामप्रकाश एवं करुआ उर्फ जसरथ पुत्र कदम सिंह गुर्जर को निर्णय दिनांक : 23 / 12 / 2015 के अनुसार दोषमुक्त किया जा चुका है एवं प्रकरण में आरोपी दिनेश जाटव पूर्व से फरार है, जिसके विरुद्ध स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।

03. अभियोजन कथा संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि दिनांक :- 05-06 / 07 / 2004 की रात्रि रोहिणी स्ट्रिप्स लिमिटेड फैक्ट्री मालनपुर में, फरियादी के.एस.परिहार के आधिपत्य का चैनल, लोहे का पलंग, जालीदार चैनल के टुकड़े तथा एम.एस. स्क्रेप चुरा लेने की लिखित रिपोर्ट फरियादी के.एस.परिहार द्वारा दिनांक 06 / 07 / 2004 को थाना मालनपुर पर आरोपी करुआ एवं दो अन्य व्यक्ति नवाव सिंह एवं रामरूप के विरुद्ध की जाने पर, थाना मालनपुर में अज्ञात आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 114 / 04 अन्तर्गत धारा 379 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान आरोपी करुआ उर्फ जसरथ, दिनेश जाटव, बंटी

जाटव एवं दिनेश धनैलिया को गिरफ्तार किया गया किया। आरोपी करुआ उर्फ जसरथ का धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का ज्ञापन लिया गया तथा आरोपी करुआ के आधिपत्य से चोरी गई सम्पत्ति जब्त की गई। घटनास्थल का नक्शा-मौका बनाया गया तथा फरियादी के.एस.परिहार, साक्षी ओमकार, सोनू, बलवीर सिंह एवं राम सिंह के कथन लेखबद्ध किये गये। विवेचना पूर्ण कर आरोपीगण के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

04. अभियुक्त बंटी जाटव के विरुद्ध धारा 379 भा.द.सं. के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा। इस वावत् उसका अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त बंटी के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है:-

01. क्या आरोपी बंटी जाटव ने दिनांक : 05-06/07/2004 की रात्रि में सूर्यास्त के पश्चात् एवं सूर्योदय के पूर्व रोहिणी स्ट्रिप्स लिमिटेड फैक्ट्री मालनपुर में फरियादी के.एस.परिहार के आधिपत्य के एक चैनल, लोहे का पलंग, जालीदार चैनल के टुकड़े तथा एम.एस. स्क्रेप आदि कुल कीमत लगभग 1500/- रुपये बिना उसकी सहमति के बेईमानीपूर्वक ले लेने के आशय से हटाकर चोरी की?

02. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

07. फरियादी कायम सिंह परिहार अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 26/02/2009 से दो-तीन साल पहले की है। उसके सिक्योरिटी गार्ड रोहिणी स्ट्रिप्स लिमिटेड फैक्ट्री में लगे हुये थे। साक्षी आगे कहता है कि उसे गार्ड ने फोन पर सूचना दी कि फैक्ट्री में चोरी हो गई है। गार्डों ने उसे बताया था कि चोरी में पलंग, एम.एस.स्क्रेप, आदि सामान चोरी हो गया था। साक्षी आगे कहता है कि उसे गार्ड ने बताया था कि कुछ लोग बन्दूक लेकर आये थे, उन्हें गार्ड ने पहचान लिया था। गार्ड ने उसे उनके नाम बनाये थे, जो नबाव सिंह एवं दूसरे का नाम उसे याद नहीं है। जिसके संबंध में उसने

थाने पर लिखित सूचना प्र.पी.01 दी थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, जिस पर से थाने वालों द्वारा अपराध क्रमांक :- 114/04 पर अपराध पंजीबद्ध किया था, जो प्र.पी.02 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने मौके पर आकर घटनास्थल का नक्शा-मौका प्र.पी.03 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि पुलिस ने कबाड़ी के यहाँ से माल जब्त किया था और सामान दिखाया था। उसने एवं गार्डों ने सामान की पहचान की कार्यवाही की थी, उसने सामान सही पहचान लिया था। पहचान कार्यवाही में बनाया गया मैमों प्र.पी.04 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर फरियादी कायम सिंह परिहार अ.सा.01 को अभियोजन अधिकारी द्वारा याद दिलाए जाने पर साक्षी ने व्यक्त किया कि गार्ड ने उसे अन्य आरोपी का नाम करूआ एवं रामस्वरूप द्वारा कट्टा लिये हुये होने वाली बात बताई थी।

08. साक्षी तर्जन सिंह अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक :- 06/07/2004 को थाना मालनपुर पर प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाने के अपराध क्रमांक 114/04 अन्तर्गत धारा 379 भा.द.सं. की एफआईआर उसे अग्रिम विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। उक्त दिनांक को उसके द्वारा फरियादी के.एस.परिहार के बताये अनुसार घटनास्थल का नक्शा-मौका प्र.पी.03 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा फरियादी के.एस.परिहार का कथन लिया था। साक्षी आगे कहता है कि दिनांक : 10/07/2004 को गवाह समक्ष कल्लूवा उर्फ जशरथ का मैमोंरेंडम लिया गया था जो प्र.पी.04 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि आरोपी कल्लूवा उर्फ जशरथ को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया था, जो प्र.पी.05 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि उसने उक्त दिनांक को ही आरोपी से एक बीयर कराई लोहे की, एक पत्तीदार लोहे का पंलग एवं एम.एस.स्क्रेप के टुकड़े चार करीबन 1500/- रुपये के जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया था, जो प्र.पी.06 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा आरोपी दिनेश जाटव एवं दिनेश धनोलिया को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया था जो क्रमशः प्र.पी.07 एवं प्र.पी.08 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् उसके द्वारा साक्षी ओमकार, सोनू, बलवीर सिंह एवं रामसिंह के कथन लिये।

09. प्रति परीक्षण के पद क्रमांक 04 में कायम सिंह परिहार अ.सा.01 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसने किसी को चोरी करते हुए नहीं देखा, उसे केवल गार्ड ने चोरी करने वालों के नाम बताए थे। उल्लेखनीय है कि कायम सिंह अ.सा.01 द्वारा लिखित रूप में की गई रिपोर्ट प्र.पी.01 में आरोपी करूआ के अलावा दो अन्य लोगों रामरूप एवं नबाव सिंह के नाम लेखबद्ध किये गये थे, परन्तु

प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात आरोपीगण के विरुद्ध लेखबद्ध की गई। जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 भी कायम सिंह अ.सा.01 द्वारा लेखबद्ध कराई गई थी। कायम सिंह अ.सा.01 के लिखित आवेदन में तीन आरोपीगण के नाम होने के बावजूद प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध क्यों लेखबद्ध की गई, इसका कोई कारण अभियोजन साक्ष्य से स्पष्ट नहीं होता है। प्रति परीक्षण के पद क्रमांक 04 में कायम सिंह अ.सा.01 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि लिखित आवेदन प्र.पी.01 में उन गार्डों का नाम नहीं लिखवाया है, जिनके द्वारा उसे आरोपीगण के नाम बताएं गये थे। उल्लेखनीय है कि लिखित आवेदन प्र.पी.01 में कायम सिंह अ.सा.01 को आरोपीगण के नाम बताने वाले किसी गार्ड का नाम नहीं लिखा है। प्रति परीक्षण के पद क्रमांक 04 में कायम सिंह अ.सा.01 का कहना है कि उसे रात्रि में राम सिंह अ.सा.06 एवं बलवीर अ.सा.03 नाम के गार्डों ने टेलीफोन पर सूचना दी थी। उल्लेखनीय है कि बलवीर अ.सा.03 एवं राम सिंह अ.सा.06 ने अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है और इस तथ्य से इंकार किया है कि उसने कायम सिंह परिहार को टेलीफोन पर चोरी की सूचना दी थी।

10. कायम सिंह अ.सा.01 ने प्रति परीक्षण के पद क्रमांक 04 में यह बताया है कि उसे चोरी वाली रात को सिक्योरिटी गार्ड ने फोन करके चोरी के संबंध में बताया था और उसने अपने लिखित आवेदन प्र.पी.01 में यह बात नहीं लिखी थी कि गार्ड ने उसे रात में ही चोरी होने के बारे में फोन पर सूचना दी थी। उल्लेखनीय है कि लिखित रिपोर्ट प्र.पी.01 में यह उल्लेख है कि सुबह हमको गार्ड ने बताया था कि कम्पनी में चोरी हो गई है। इस प्रकार तथ्य के संबंध में कायम सिंह अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं उसके लिखित आवेदन प्र.पी.01 के तथ्यों के मध्य विरोधाभास है। कायम सिंह अ.सा.01 ने उसके प्रति परीक्षण के पद क्रमांक 05 में यह बताया है कि वह थाने पर रिपोर्ट करने सुबह लगभग साढ़े सात बजे गया था और ऐसा नहीं था कि वह थाने पर रिपोर्ट करने साढ़े नौ बजे गया हो। इस प्रकार कायम सिंह अ.सा.01 रिपोर्ट करने थाने कितने बजे गया, इस बावजूद उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 के तथ्यों के मध्य विरोधाभास है, क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 में थाने में सूचना प्राप्त होने का समय 09:35 बजे होना लिखा हुआ है। प्रति परीक्षण के पद क्रमांक 05 में कायम सिंह अ.सा.01 ने यह बताया है कि वह यह नहीं बता सकता कि चोरी का माल किस कबाड़ी के यहां से लाया गया था और पहचान कराई गई थी। साक्षी आगे कहता है कि शिनाख्ती कार्यवाही कबाड़ी की दुकान पर हुई थी, सर्किट हाउस पर नहीं हुई थी। उल्लेखनीय है कि शिनाख्ती पंचनामा प्र.पी.04 में शिनाख्ती के स्थान के रूप में सर्किट हाउस मालनपुर अंकित है। इस प्रकार जब्तशुदा वस्तुओं के शिनाख्ती के स्थान के संबंध में कायम सिंह अ.सा.01 की न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं शिनाख्ती पंचनामा प्र.पी.04 के तथ्यों के मध्य गंभीर

विरोधाभाष है। उल्लेखनीय है कि अभियोजन द्वारा उक्त शिनाख्तगी पंचनामा के किसी अन्य साक्षी को विचारण के दौरान परीक्षित नहीं कराया गया, क्योंकि शिनाख्तगी के कथित साक्षी हाकिम सिंह सरपंच की विचारण के दौरान मृत्यु हो गई, ऐसा अभिलेख से विदित होता है।

11. प्रति परीक्षण के पद क्रमांक 02 में तर्जन सिंह अ.सा.02 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 में फरियादी कायम सिंह द्वारा किसी भी आरोपी का नाम नहीं बताया गया था और हस्तगत प्रकरण के आरोपीगण के नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 में अंकित नहीं है। प्रति परीक्षण के पद क्रमांक 02 में तर्जन सिंह अ.सा.02 ने बताया है कि उसने आरोपीगण से पूछताछ की थी, जिसमें उसने चोरी करने के संबंध में कबूल किया था और उसी के आधार पर उसने आरोपीगण को प्रकरण में आरोपी बनाया है। उल्लेखनीय है कि अभियोजन कथा के अनुसार मात्र आरोपी करुआ उर्फ जसरथ से पूछताछ कर धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का ज्ञापन बनाया गया है, आरोपी बंटी जाटव का ऐसा कोई पूछताछ संबंधी धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का ज्ञापन नहीं बनाया, उसे मात्र आरोपी करुआ उर्फ जसरथ के धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के ज्ञापन के तथ्यों के अनुसार प्रकरण में आरोपी बनाया गया है, जो कि विधि की मंशा के प्रतिकूल है। आरोपी बंटी जाटव से प्रकरण में कोई चोरी गई वस्तु जब्त नहीं की गई है।

12. सहायक उपनिरीक्षक गौरीशंकर अ.सा.05 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में यह दर्शित किया है कि वह दिनांक : 27/10/2004 को थाना मालनपुर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे अपराध क्रमांक 114/2004 अन्तर्गत धारा 379 भा.द.सं. की विवेचना प्राप्त हुई थी। विवेचना के दौरान उसने आरोपी बंटी जाटव को साक्षी बैजनाथ एवं नवीन पचौरी के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.10 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि उक्त दिनांक को ही उसने साक्षीगण के सामने आरोपी बंटी के घर की तलाशी ली थी, इस वावत् बनाया गया तलाशी पंचनामा प्र.पी.11 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में गौरीशंकर अ.सा.05 द्वारा आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया गया है कि आरोपी बंटी से उसके द्वारा चोरी का कोई सामान जब्त नहीं किया गया। तलाशी पंचनामा प्र.पी.11 के अवलोकन से भी यह दर्शित होता है कि तलाशी के दौरान आरोपी बंटी के घर से थाना मालनपुर के अपराध क्रमांक 114/2004 से संबंधित कोई वस्तु बरामद नहीं हुई थी। इस प्रकार आरोपी बंटी जाटव के विरुद्ध अभियोजन का मामला केवल आरोपी करुआ उर्फ जसरथ के धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के ज्ञापन पर आधारित है। आरोपी बंटी से कोई जब्ती नहीं हुई है, इस प्रकार अभियोजन कथा में आरोपित चोरी आरोपी बंटी द्वारा कारित किये जाने के संबंध में कोई प्रत्यक्ष अथवा परिस्थितिजन्य साक्ष्य प्रकट नहीं हुई है।

13. अभियोजन साक्षी बलवीर अ.सा.03, ओंकार अ.सा.04 एवं रामसिंह अ.सा.06 ने अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है।

14. अभियोजन द्वारा इस बावत ऐसी कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह प्रकट होता हो कि आरोपी बंटी जाटव ने दिनांक : 05-06/07/2004 की रात्रि में सूर्यास्त के पश्चात् एवं सूर्योदय के पूर्व रोहिणी स्ट्रिप्स लिमिटेड फैक्ट्री मालनपुर में फरियादी के.एस.परिहार के आधिपत्य के एक चैनल, लोहे का पलंग, जालीदार चैनल के टुकड़े तथा एम.एस. स्क्रेप आदि कुल कीमत लगभग 1500/- रुपये बिना उसकी सहमति के बेईमानीपूर्वक ले लेने के आशय से हटाकर चोरी की।

15. अभियोजन आरोपी बंटी के विरुद्ध धारा 379 भा.द.सं का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्त बंटी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 भा.द.सं. के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

16. अभियुक्त बंटी के उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

17. प्रकरण में अभी आरोपी दिनेश जाटव के विरुद्ध विचारण एवं निर्णय शेष है, इसलिए प्रकरण में जव्तशुदा सम्पत्ति के व्ययन के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जा रहा है और इसीलिए प्रकरण के अभिलेख पर लाल स्याही से यह अंकित किया जाए कि प्रकरण का अभिलेख सुरक्षित रखा जायें।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद